

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश
17, अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष- 2550488, 2550446, 2553305, 2551282, फैक्स- 0755- 2555162
E-Mail : ceomplok09@gmail.com, Website:ceomadhyapradesh.nic.in

फा. क्र. 01/2013/3/4417

भोपाल, दिनांक 30.5.2012

प्रति,

कलेक्टर


एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (समस्त)

मध्य प्रदेश.

विषय:- फोटो निर्वाचक नामावली में 100 प्रतिशत फोटोग्राफ समाहित करने बाबत।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 01/2013/3/3116 दिनांक 28.04.2012

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 100 प्रतिशत फोटोग्राफ निर्वाचक नामावली में समाहित करने के निर्देश दिये गये हैं। इसी तारतम्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि डोर टू डोर सर्वे की अवधि 15 जून 2012 तक बढ़ा दी गई है। अतः इस अतिरिक्त दिनों में सर्वे कार्य के साथ-साथ मतदाता सूची में छुटे हुए फोटोग्राफ एकत्रित करने का कार्य भी सुनिश्चित किया जावे। इस बाबत सभी ई.आर.ओ., ए.ई.आर.ओ., बी.एल.ओ., सुपरवाइजर एवं बी.एल.ओ. की बैठक बुलाकर कार्यवाही सुनिश्चित करवाते हुए शत प्रतिशत फोटोग्राफ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावें।


(एस.एस.बंसली)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश